

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 402/2021

1. गोपीराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. भजनलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
3. सुखराम पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

— — वादीगण

बनाम

1. श्यामाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. मेहरचन्द पुत्र श्यामाराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
3. नेतराम पुत्र श्यामाराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
4. सुखदेवी पुत्री श्यामाराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
5. जानो देवी पुत्री श्यामाराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
6. सावित्री पुत्री श्यामाराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
7. बिदामी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

— — प्रतिवादीगण

निर्णय


दिनांक :- 4/11/2022

वादीगण की ओर से श्री प्रेमकुमार आलडिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 4/11/2022 को रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक नं. 39 एनडीआर के खाता सं. 55 के प.नं. 81/353 के किला नं. 13 ता 15, 18 ता 20 की 1.518 हैक्. प.नं. 82/353 के किला नं. 11 ता 15 की 1.265 हैक्. कुल 2.783 हैक्. भूमि मे व चक 5 एसटीबी के खाता सं. 64 के प.नं. 82/360 के किला नं. 1/2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की 1.265 हैक् भूमि मे वादीगण के हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 को 1/3 हिस्सा का खातिदार

04.01.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

घोषित किया जाता है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 4.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार)
उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा